

रियासतों का खलीफात

समस्या

⇒ पहली समस्या का समाधान सरदार पटेल ने निम्नलिखित तरीके से किया।

A- कश्मीर - यहां के शासक हरिसिंह स्वतंत्र रियासत की स्थिति बनाये रखना चाहते थे किन्तु जब पाकिस्तानी सेना समर्थित आकाशियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया तो राजा हरिसिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर, कश्मीर को विशेष स्वायत्तता का अधिकार लेते हुये इसे भारत संघ का सदस्य मान लिया।

शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में "कश्मीर स्टेट पीपुल फ्रंट" ने भी यह दवाव बनाया कि कश्मीर को भारत संघ में ही शामिल होना चाहिए।

B- जूनागढ़ - यहां का नबाव पाकिस्तान में विलय का इच्छुक था जबकि अधिकांश जनता भारत के साथ विलय के पक्ष में थी और यदि भू-सांख्यिक नजरिये से देखें तो जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय का नफा होता भारत के सीमायुक्त क्षेत्रों का खतरे में पड़ जाना, अतः यहां सैन्य आघात

के बाद अनमत संग्रह के निर्णय से भारत संघ में शामिल करा लिया गया।

C- हैदराबाद- एक बृहद व समृद्ध रिफालत के रूप में निजाम हैदराबाद को एक स्वतंत्र इकाई बनाये रखना चाहता था जबकि भौगोलिक व राजनैतिक कारणों से यह संभव ही नहीं था कि भारत इसकी बात स्वीकार करे।

निजाम ने निरंजुशता की नीति अपनाते हुए भारत के समर्थन का विरोध करने के लिए इन्दिरा - उल - मुस्लिमीन नामक साम्प्रदायिक संगठन की स्थापना की और भारत छोड़ो आन्दोलन के विरोध में रजवार सेना का निर्माण कर दमनात्मक कार्यवाही से अपनी स्वायत्तता को बनाये रखने का दिग्गमक प्रयास किया जिसमें हजारों की संख्या में सत्याग्रहियों ने अपना बलिदान दिया अन्ततः जब सभी प्रयास असफल होते फिर तो ऑपरेशन पोलो नामक सैन्य अभियान द्वारा हैदराबाद को भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया।

⇒ दूसरी चुनौती जो सरदार पटेल ने खल कुशल ब्रूटनीतिज्ञ की तरह हल किया। ज्वलेखनीय है कि 550 से अधिक रियासतों को भारत में विलय के लिये मनाना वो भी अपनी सम्प्रभुता को न त्यागने का मोह शासकों में दीना स्वभाविक ही था, यदि ये रियासतें भारत संघ में शामिल होने को तैयार न होकर विद्रोही हो जाती तो अत्यन्त परिदूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जातीं।

इसमें सरदार पटेल ने शासकों में देशभक्ति की भावना जगाकर उन्हें त्याग के लिये प्रेरित किया तथा साथ ही उन्हें यह भी साह्वान दिया कि उन्हें विशेष आधिकार उपलब्ध कराये जायेंगे इती संदर्भ में प्रिन्सिपल की व्यवस्था की गयी, पदवी स्वयं का और विशेष अवसरों पर सलामी लेने का अधिकार भी दिया गया। पटेल के इन माशवाकों और देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर इन शासकों ने अपनी रियासतों को भारत हेतु समर्पित कर दिया।

⇒ तीसरी चुनौती विभिन्न विषम रियासतों की आधुनिक प्रशासनिक इकाई में रूपांतरित करने की भी और इसके लिये पहले चार तरीके से रियासतों के स्वरूप में बदलाव किया गया जिससे कि वह आधुनिक

प्रशासनिक इकाई बन सकें।

1- ऐसी 39 राज्यों जिन्हें संविधान सभा में स्थान प्राप्त नहीं था और जिनकी आय 10 लाख रुपये वार्षिक से कम थी उन्हें समीपवर्ती राज्यों में मिला दिया गया (उड़ीसा व मध्य प्रदेश में)

2- समीपवर्ती देशी राज्यों को आपस में मिला देने पर जो आत्मनिर्भर इकाई बन सकती थी इस योजना के तहत मध्य भारत संघ तथा PEPSEC (Patiala and East Punjab State Union) जैसे राज्यों का निर्माण किया गया और इस निर्माण में भौगोलिक, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक समानताओं का ध्यान रखा गया।

3- बड़ी राज्यों जैसे हैदराबाद व मैसूर को राज्य का दर्जा दे दिया गया

4- ऐसे क्षेत्रों को जो आत्मनिर्भर नहीं हो पाते, उन्हें केन्द्र शासित क्षेत्र बनाया गया। उदाहरण स्वरूप बुन्देलखंड व बघेलखंड को 35 राज्यों को मिलाकर विन्ध्य प्रदेश बनाया गया

इस प्रकार विभिन्न राज्यों को लेकर भारत संघ का निर्माण सम्पन्न हुआ और उन्हें चार श्रेणियों में रखा गया।

- A- वैसे राज्य जो आजादी के पहले से ही स्थापित थे
 B- बड़ी रियासतों से बने राज्य तथा समीपवर्ती रियासतों के संघ से बने राज्य (उदाहरण - हैदराबाद व P&PSU)
 C- केन्द्रशासित क्षेत्र जैसे कि विन्ध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश।
 D- अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह को इस श्रेणी में शामिल किया गया।

A और B श्रेणी के राज्यों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गयी, C श्रेणी के राज्यों में केन्द्र के नियंत्रण में उत्तरदायी सरकारें गठित की गयीं और D श्रेणी के क्षेत्रों को केन्द्र के अधीन रखा गया।
 मार्ग - चलाकर 1954 में भारत-फ्रांस समझौते से पांडिचेरी तथा गोवा मुक्ति संघर्ष के द्वारा 1961 में गोवा को भी D श्रेणी में ही शामिल किया गया।

इस प्रकार विलय पत्र तथा यथा स्थिति समझौते के साथ सरकार पटेल ने मुख्यतः 3 प्रक्रियाओं से रियासतों का खलीकरण किया।

- 1- राजनैतिक सूझ-बूझ
- 2- संवेदनशील व्युत्पत्ति
- 3- सैन्य कार्यवाही

पटेल के इन प्रयासों को कुछ विद्वानों ने पुरस्कार और दण्ड की नीति का नाम दिया। इस तरह

सरदार पटेल ने एक अलंभव सी दिखती चुनौती को विना किसी सशस्त्र संघर्ष (अपवाद - हैदराबाद) के कुशलता से पूरा कर लिया और विश्व इतिहास में विस्मय व आश्चर्य जैसी महान व्युत्पत्तियों की श्रेणी में शामिल होने का श्रेय प्राप्त किया। यहां प्रजामंडल आंदोलनों और रिपब्लिकों की जनता का भारत संघ में विलय के उल्हास को भी महत्वपूर्ण मानना होगा।

⇒ साम्प्रदायिकता एवं पाकिस्तान अलगाववादी

मान्योलन ⇒

KGS IAS

- साम्प्रदायिकता को सामान्यतः किसी व्यक्ति, समूह, या समुदाय की पहचान से जोड़ा जाता है, जब यह धार्मिक / भाषाई आधार पर निर्धारित होती है।

- जब समाज की पहचान और विभाजन दोनों ही समुदाय के आधार पर होने लगे तो यह साम्प्रदायिकता बढ जाती है।

- साम्प्रदायिकता के मुख्यतः तीन चरण माने जाते हैं-

1- किसी धार्मिक समुदाय के सभी सदस्यों के हित समान होते हैं- यह राष्ट्रवादी साम्प्रदायिकता बढ जाती है।

2- उदारवादी साम्प्रदायिकता के चरण में यह माना जाने लगता है कि दो धार्मिक समुदायों के हित अलग-अलग हैं।

3- उग्रवादी साम्प्रदायिकता मानती है कि दो समुदायों के हित अलग-अलग ही नहीं होते बल्कि परस्पर टकरावपूर्ण होते हैं। अर्थात् एक समुदाय का हित दूसरे के अहित से जोड़कर देखा जाने लगता है। और यही सबसे भयानक स्थिति होती है।

⇒ साम्प्रदायिकता की उत्पत्ति के कारण -

- 1857 के महाविद्रोह के बाद अंग्रेजों ने छूट डाले और राज करो की नीति से भारत में साम्प्रदायिकता का बीज बोना शुरू कर दिया और 1947 आते-आते इतने इतना भयानक रूप धारण कर लिया कि भारत को आजादी के साथ ही विभाजन को भी स्वीकारना पड़ा और दुर्भाग्य है कि आज का भारत भी इस साम्प्रदायिकता की भावना से मुक्त नहीं हो सका है। साम्प्रदायिकता की उत्पत्ति में मुख्यतः 3 कारणों की भूमिका का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है।

↳ अंग्रेजों की भूमिका - 1870 में विलियम हंटर की पुस्तक "भारतीय मुसलमान" के प्रकाशन के बाद से ही अंग्रेजों ने यह प्रचारित करना शुरू कर दिया कि वे मुसलमानों के सच्चे दुश्मन हैं और

यह ग्रन्थ स्थापित करने का प्रयास किया कि संग्रहों के भारत से जाने के बाद यहां हिन्दू राज स्थापित हो जायेगा

"मिल" ने भारतीय इतिहास को हिन्दू जाल, मुस्लिम जाल और ब्रिटिश जाल में बाँटकर इतिहास को ऐसा अंकित करने का प्रयास किया कि हमारी सामाजिक स्थिति खंडित हो जाये। उल्लेखनीय है कि यदि किसी देश के इतिहास को बाँट दिया जाये तो उस देश का समाज भी बंटने लगता है।

1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में सहयोग कर संग्रहों ने हिन्दू और मुस्लिम समाज के मध्य अन्तर को राजनैतिक रूप से बढ़ाने का प्रयास किया और 1909 में मॉर्ले-मिंटो अधिनियम द्वारा विशेष साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था कर धार्मिक आधार पर विभाजन को आधिकारिक रूप देने का प्रयास किया।

यह राज्य सचिव मॉर्ले द्वारा वायसरॉय मिंटो को लिखे उस पत्र से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें लिखा गया "हम भारत में विभेद बीज बो रहे हैं जिसका फल निश्चित ही भयावह होगा।

इसके बाद संग्रहों ने जाने वाले प्रत्येक संवैधानिक संशोधनों व सुधारों में साम्प्रदायिकता को और बढ़ावा दिया तथा क्रिश्चियन मिशन व वेबेल सन

ने धार्मिक आधार पर मुस्लिम लीग की महत्वाकांक्षा को अत्यधिक बढ़ा दिया और जिन्ना को स्वयं प्रचार की बीरी की शक्ति दे दी।

* अंग्रेजों ने भारत में एक ऐसी शिक्षा पद्धति लागू की जो रोजगार के लिए आवश्यक थी और विभिन्न जातों से मुस्लिम वर्ग अंग्रेजी/आधुनिक शिक्षा से अधिक संख्या में न जुड़ सके और परिणाम स्वरूप रोजगार में भी तुलनात्मक रूप से पिछड़े लगा तो अंग्रेजों ने मुसलमानों को यह भय दिखाना शुरू कर दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर हिन्दुओं का वर्चस्व स्थापित होने लगा है और भारत में मुसलमान द्वितीयक स्थिति में रह जायेंगे।

इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य को बनाये रखने के लिए विभिन्न नीतियों व विचारों से भारत की महान सामाजिक एकता को खंडित करने के लिए साम्प्रदायिक भावना को बढ़ावा दिया अतः भारत में साम्प्रदायिकता की उत्पत्ति और उसे दृढ़ बनाने में सबसे प्रभावी भूमिका अंग्रेजों की ही थी।

* साम्प्रदायिकता के विकास में एक मनोदशा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा व संस्कृति स्वतंत्र में है और वह विकास में पिछड़े जा रहे हैं।

= मुस्लिम लीग व अन्य साम्प्रदायिक संगठनों की भूमिका - 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग आरम्भ से ही धार्मिक आधार पर अपने राजनैतिक, प्रशासनिक प्रतिनिधित्व की मांग करने लगी। आरंभ में यह एक अभिजात्य वर्गिय मुस्लिम संगठन था, जिले अंग्रेजों का समर्पण प्राप्त था और यहां तक कि इलैके बंगाल विभाजन का भी समर्थन किया था।

लीग धीरे-धीरे धार्मिक आधार पर मुसलमानों की सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक संस्था बन गयी जिसे हमारे राष्ट्रीय संघर्ष की कुछ गलतियों ने और बढ़ावा दिया। अंग्रेजों द्वारा इसे परीयता देने तथा कांग्रेस के तुलीकरण की नीति से यह और प्रभावी होती गयी और बिना के नेतृत्व में यह मुसलमानों की सबसे प्रभावी संस्था बनती गयी।

दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के प्रत्युत्तर में हिन्दू हितों की सुरक्षा को लेकर कुछ साम्प्रदायिक हिन्दूवादी संगठन भी उभरने लगे जिनमें हिन्दू महासभा व आर. एस. एस प्रमुख थे। इन संस्थाओं के मध्य बढ़ती क्रिया-प्रतिक्रिया ने साम्प्रदायिक उन्माद को और बढ़ावा दिया।